विविध प्रार्थना पत्र 07/2018 रेस्टोरेशन अनवान सोहनसिंह वगैरह बनाम स्टेट व देवीसिंह वगैरह

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित	क्रमांक व दिनांक पत्र जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया गया
11–03–2019	आज यह पत्रावली पेश हुई। पैरोकारराज/प्रार्थी एडवोकेट उपस्थित। वकील प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण के वकील ने निवेदन किया कि अनवानी अपील में दिनांक 07–02–2005 को प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होने का कथन किया व इस आधार पर अपील निरस्त की गई है जबकि हिदायत पैरवी का कथन करने से पूर्व अधिवक्ता को अपने सायल को सूचित किया जाना आवश्यक था जो सूचित नहीं किया गया व उसी दिन अपील निरस्त कर दी गई। प्रार्थीगण दूरदराज गांव के किसान व्यक्ति हैं जहां संचार का कोई माध्यम नहीं है। सूचना प्राप्त नहीं हुई। इसी दौरान प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री आसूराम का सडक दुर्घटना में दुःखद देहावसान हो गया जिससे अपील की कार्रवाई की जानकारी नहीं हो सकी। प्रकरण सीलिंग कानून से अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थीगण के साथ न्याय नहीं हो पाया है। न्यायहित में एक अवसर प्रदान किया जाकर अपील को रेस्टोर किया जाकर पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जावे। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद शुमार किया जाकर निरस्तीकरण आदेश अपील संख्या 14/01 दिनांक 07–02–2005 निरस्त किया जाता है। अपील दिनांक 07–02–2005 को दरख्वास्त बहस की स्थिति में थी। पत्रावली वाजवे नम्बर पर ली जावे तथा आवेदन पत्र रेस्टोरेशन मूल अपील संख्या 14/01 के साथ संलग्न रखें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर	